अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0..से..तक

जिला........................**सहरसा**........................., सं0..............**84**..............., सन् ....**2021**............................

केस का प्रकार.......................**आर्बिट्रेशन**...**(बच्चु राय एवं अन्य बनाम राज्य)**..............................

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
08.07.2026	आवेदक, NHAI एवं राज्य उपस्थित । प्रस्तुत आर्बिट्रेशन वाद सक्षम प्राधिकारी-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के NH-107 परियोजनान्तर्गत वाद संख्या-17/2014-15, पंचाट संख्या-137 के विरूद्ध दायर किया गया है । Petitioner, NHAI एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना । Petitioner के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वाद-पत्र की कंडिका-04-10 का उल्लेख करते हुए बताया गया कि Petitioner की अधिग्रहित भूमि के निबंधित विक्रय-पत्र में किस्म काबिल वासोवास एवं पक्की सड़क से सटा होने तथा उक्त भूमि के निकट पेट्रेल पम्प व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान कायम रहने के बावजूद भी अधिग्रहित भूमि को 'कृषि' श्रेणी में घोषित किया गया, जो नियमानुकूल नहीं है । Petitioner के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त अधिग्रहित भूमि को 'व्यवसायिक' श्रेणी में घोषित करने का अनुरोध किया गया है । अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को प्रस्तुत वाद Remand Back करते हुए आदेश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत वाद में सभी संबंधित पक्षों को सुनकर एवं Six Men Committee के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार आदेश पारित करेंगे । इस आदेश की प्रति संबंधितों को उपलब्ध करा दी जाय । आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा । लेखापित एवं शुद्धित । आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा